2022/310

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री घीसूलाल मेघवाल जाति मेघवाल निवासी बी–48 सेक्टर–15 नोयडा उत्तरप्रदेश।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 41 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जा इरा हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.08.2022	अपीलांट. ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 25.04.2022 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा श्रीमती पिंकीदेवी पत्नि श्री घीसूलाल के पट्टा विलेख पत्रावली की मूल प्रति सरपंच/उपसरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा को दस्ती प्रेषित की थी, जिसकी एक प्रति जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही को दिनांक 19.01.2021 को दस्ती प्रेषित की, जिस पर जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही के द्वारा की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 25.04.2022 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा श्रीमती पिंकीदेवी पत्नि श्री घीसूलाल के पट्टा विलेख पत्रावली की मूल प्रति सरपंच/उपसरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा को दस्ती प्रेषित की थी, जिसकी एक प्रति जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही को दिनांक 19.01.2021 को दस्ती प्रेषित की, जिस पर जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही के द्वारा की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । Signature Not Verified Digitally signed by Bhanwar Lal Date: 2023.03.01 18:29:13 IST Reason: SelfAttested (डॉ. भंवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner